संख्या:159/2022/525/35-4-2022/001-35/4099/241/2021

प्रेषक,

विवेक,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोरखपुर।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 07 जून, 2022

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत जनपद-गोरखपुर में सड़क निर्माण से संबंधित 11 कार्यों की शासनादेश संख्या-344/2021/2193/35-4-2021, दिनांक 04 दिसम्बर, 2021 द्वारा प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित 10 कार्यों की अनुमोदित लागत रू0 290.64 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 150.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। जिलाधिकारी, गोरखपुर द्वारा पत्रांक: 186/त्व0आ0वि0यो0-2021-22, दिनांक 20 मई, 2022 द्वारा प्रश्नगत कार्यों की लागत के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि का पूर्ण व्यय होना इंगित किया गया है। एतद्द्वारा उपर्युक्त शासनादेश से स्वीकृत कार्यों में से प्रश्नगत कार्यों की लागत के सापेक्ष प्रथम किश्त में अवमुक्त धनराशि रू0 150.00 लाख को समायोजित करते हुए द्वितीय किश्त के रूप में अनुमन्य अवशेष रू. 140.64 लाख (रूपये एक करोड़ चालिस लाख चौसठ हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(रू. लाख में)

	कार्य	अनुमोदित लागत	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त अवशेष धनराशि
1	ग्राम सभा-रघुनाथपुर में बेलदारी टोला से बामंत मां स्थान तक सी0सी0 रोड का निर्माण	31.34	15.00	16.34
2	ग्राम सभा-जं. डुमरी नं.2 में वंगला चौराहे से हेलानी सम्पर्क मार्ग पर सी0सी0 रोड का निर्माण	42.54	15.00	27.54
3	ग्राम सभा-भटहट में दूरदर्शन केन्द्र से नहर पुलिया तक सम्पर्क मार्ग पर सी0सी0 रोड निर्माण	19.23	15.00	04.23
4	ग्राम सभा-भरपुरवा में गांव के अन्दर सी0सी0 रोड का निर्माण	16.71	15.00	01.71
5	ग्राम सभा-महराजगंज पिच रोड से संजय सिंह के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण	29.50	15.00	14.50
6	ग्राम सभा-तिकोनिया न.01 में जितेन्द्र जैसवाल के मुर्गीखाना मोड़ से पूरब मनोहर चौराहा तक सी0सी0 रोड का निर्माण	54.68	15.00	39.68
7	ग्राम सभा-देवीपुर में कोल्हू घाट पिच रोड से दुर्गापुर सड़क तक सी0सी0 रोड का निर्माण	22.00	15.00	07.00
8	ग्राम सभा-बैजनाथपुर में हनुमान चक में राधेश्याम के घर से रेनसॉस एकेडमी के उत्तरी गेट तक सी0सी0 रोड का निर्माण	23.08	15.00	08.08
9	ग्राम सभा बढ़नी में पिच सड़क से परसौना गांव तक सी0सी0 रोड का निर्माण	29.79	15.00	14.79
10	ग्राम सभा-हाफिजनगर में प्रा.स्वा.केन्द्र से गांव तक सी0सी0 रोड का निर्माण	21.77	15.00	06.77
	योग:	**290.64**	**150.00**	**140.64**

1- उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 04 दिसम्बर, 2021 की शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

2- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

4- कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

5- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त /अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2023 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2023 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तु त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2023 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

7- वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए स्वीकृत बजट के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या:15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक-30 दिसंबर, 2021 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,40,64,000 (रूपये एक करोड़ चालीस लाख चौंसठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्षक 50540433 70303 ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी सड़कों के लिए एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक-30 दिसंबर, 2021 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या: 5/2022/ बी-1-224/दस-2022-231/2022 दिनांक 29 मार्च, 2022 मे प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(विवेक)
विशेष सचिव।

संख्या:159/2022/525/(1) 001-35/4099/241/2021, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी ।
7- मण्डलायुक्त, गोरखपुर मण्डल।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर ।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर ।
11- गार्ड फाईल।
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, गोरखपुर ।
14- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, गोरखपुर ।

आज्ञा से,

(विवेक)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in